रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 120] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जुलाई 9, 1970/आषाढ़ 18, 1892

No. 120] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 9, 1970/ASADHA 18, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 9th July 1970

SUBJECT.—*Export licensing of ferrous scrap during the licensing period April,* 1970 *to March,* 1971.

No. 5/ETC(PN)/70.—It has been decided, that during the licensing period April, 1970—March, 1971 export of Ferrous Scrap will continue to be canalised, as hitherto, through the Metal Scrap Trade Corporation Ltd., P-34, India Exchange Place, Calcutta-1, in terms of Public Notice No. 7-ETC(PN)/69, dated the 14th August, 1969.

2. The following categories of Ferrous Scrap will be permitted to be exported "On Merits":—

(i) Cast Iron Borings.

(ii) No. 2, 2A and 3 quality sheet cuttings.

(iii) Detinned scrap.

(iv) Steel skull scrap.

(v) Iron skull scrap.

(vi) Mill scale scrap.

(vii) Tool and Alloy Steel scrap, other than stainless steel scrap.

(viii) Other varieties of ferrous scrap such as Silicon sheet cuttings and punchings, broken/discarded chilled rolls, rejected castings scrap (other than cast iron scrap), broken/semi-broken ingot moulds and bottom plate scrap, defective slabs, etc.

3. The export of the following categories of Ferrous Scrap will **NOT** be allowed:—

1. Heavy Melting scrap.
2. Stainless Steel scrap.
3. Defective billets/billet scrap.
4. Scrapped and unserviceable rails.
5. No. 1 quality sheet cuttings and punchings and mild steel turnings and borings.
6. Re-rollable scrap.

4. All applications from MSTC for export of ferrous scrap allowed 'On Merits' shall be made to Joint Chief Controller of Imports & Exports, Calcutta for consideration.

5. The applications in respect of exports of scrap varieties banned for exports under the provision of this Public Notice, but for which Metal Scrap Trade Corporation might have entered into firm commitments by 31st March, 1970, will be allowed on special clearance. Such applications should reach the Chief Controller of Imports & Exports (Export Division), New Delhi, by the 31st July, 1970, with full details of the contracts so entered into.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1970

विषय :—अप्रैल 1970 से मार्च 1971 तक की लाइसेंस अवधि के लिए फेरस स्क्रैप का निर्यात लाइसेंस

संख्या 5/ई डी सी (पी०) एन० 70—यह निश्चय किया गया है कि फेरस स्क्रैप का निर्यात, जैसा कि अब तक सारणीबद्ध है, सार्वजनिक सूचना संख्या 7-ई० टी० सी० (पी० एन०)/69, दिनांक 14 अगस्त, 1969 की शर्तों के अनुसार मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड पी० 34 इन्डिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-1 के माध्यम से अप्रैल, 1970 से मार्च 1971 तक की लाइसेंस अवधि के दौरान उसे जारी रखा जाएगा ।

2. "पात्रता के आधार पर" फेरस स्क्रैप की निम्नलिखित श्रेणियों को निर्यात के लिए स्वीकृति दी जाएगी :—

1. कास्ट आयरन बोरिंगस ।
2. नम्बर 2, 2ए और 3 क्वालिटी शीट कटिंग्स ।
3. डेटिन्ड स्क्रैप ।
4. स्टील स्कल स्क्रैप ।

5. आयरन स्कल स्क्रैप ।

6. मिल स्केल स्क्रैप ।

7. मीजार और अलाय स्टील स्क्रैप, स्टेनलैस स्टील स्क्रैप के अतिरिक्त ।

8. फैरस स्क्रैप के अन्य विभिन्न प्रकार जैसे सिलिकन शीट कटिंग्स और पंचिंग्स, टूटे हुए, छंटा हुआ विल्ड रालल, बेकार कास्टिंगस स्क्रैप (कास्ट आयरन के अतिरिक्त), टूटे हुए इन्गोट मोल्ड्स और बटम प्लेट, स्क्रैप नुक्स वाले स्लेब्स आदि ।

3. फैरस स्क्रैप की निम्नलिखित श्रेणियों का निर्यात नहीं किया जाएगा :—

1. हैवी मैल्टिंग स्क्रैप ।

2. स्टेनलैस स्टील स्क्रैप ।

3. नुक्स वाले बिलेट्स/बिलेट स्क्रैप ।

4. रद्दी और काम न आने वाले रेल्स ।

5. नम्बर 1 क्वालिटी शीट कटिंग्स और पंचिंग्स तथा बोरिंग्स ।

6. रि-रोलेबल स्क्रैप ।

4. पात्रता के आधार पर स्वीकृत फैरस स्क्रैप के निर्यात के लिए एम एम टी सी के सभी आवेदन-पत्र संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात कलकत्ता को परामर्श के लिए भेजे जाएंगे ।

5. इस सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत निर्यात के लिए प्रतिबन्धित स्क्रैप वरिटीज के निर्यात के लिए वे आवेदन-पत्र जिनके लिए मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन 31 मार्च 1970 तक के लिए एकदम बचनबद्ध हो सकी है, उन्हें विशेष निकासी के आधार पर स्वीकार किया जाएगा । ऐसे आवेदन-पत्र इस प्रकार की गई संविदाओं के पूरे विवरण के साथ 31 जुलाई, 1970 तक मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात (निर्यात प्रभाग), नई दिल्ली को पहुंच जाने चाहिएं ।

आर० जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970